दिल्ली विकास प्राधिकरण

वी.नं.13 / 2025 / पीबी– ।

आयुक्त (पीआर) के 01 पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रण सूचना

दिविप्रा द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर दिविप्रा में आयुक्त (पीआर) के 01 पद (7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल–13) को भरने के लिए पात्र अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मानदंड और प्रतिनियुक्ति के अन्य नियम व शर्तों के लिए कृपया दिविप्रा की वेबसाइट **www.dda.gov.in (link Jobs)** देखें।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 14.07.2025 है।

आयुक्त (कार्मिक)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

वी.नं.13/2025/पीबी–I

दिविप्रा में प्रतिनियुक्ति आधार पर आयुक्त (पीआर) के 01 पद (7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल–13) को भरना

दिविप्रा प्रतिनियुक्ति आधार पर आयुक्त (पीआर) के 01 पद (7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल–13) को भरने के लिए पात्र अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है। प्रतिनियुक्ति के पात्रता मानदंड और अन्य नियम और शर्तें निम्नानुसार होंगीः

आयुक्त (पीआर) के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड :

(क) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकायों के अधिकारी अधिमानतः निम्नलिखित योग्यता मानदंड रखने वाले भारतीय सूचना सेवाओं के अधिकारी ।

(i) मूल विभाग/कैडर में नियमित आधार (वेतन लेवल 13) पर समान पद धारण किया हो, या

(ii) ग्रेड वेतन रु. 7600/– के साथ पीबी–3 में मूल विभाग में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।

(ख) प्रतिष्ठित समाचारपत्र/न्यूज एजेंसी (प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) में एक जिम्मेदारीपूर्ण क्षमता में 12 वर्ष पत्रकारिता का अनुभव या सरकारी विभाग या प्रतिष्ठित वाणिज्यिक प्रचार संगठन में प्रचार एवं जन संपर्क कार्य में समान अनुभव हो।

(ग) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता/जन संचार/जन संपर्क/विज्ञापन में पीजी डिप्लोमा या डिग्री या समकक्ष।

सामान्य शर्तेंः

1. प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल प्रारंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे वर्ष दर वर्ष आधार पर पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, हालांकि, प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक/विस्तारित अवधि पूरी होने से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण के विवेक पर किसी भी समय इसे समाप्त किया जा सकता है।
2. प्रतिनियुक्ति की शर्तें और नियम डीओपीएंडटी के ओएम दिनांक 17.06.2010 के प्रावधानों और समय–समय पर यथासंशोधित प्रावधानों द्वारा यथावश्यक परिवर्तनों सहित शासित होंगे।
3. उम्मीदवार को मूल विभाग/संगठन में कैडर नियंत्रण प्राधिकरण के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। दिविप्रा को आवेदन अग्रेषित करते समय निर्धारित आवेदन प्रारूप के भाग के रूप में "नियोक्ता/कैडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन" को संबंधित प्राधिकारी द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
4. दिविप्रा की आवश्यकताओं के आधार पर पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
5. इच्छुक और पात्र अधिकारियों के आवेदन जिन्हें कार्यमुक्त किया जा सकता है, उन्हें संबंधित कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कैडर मंजूरी, विजिलेंस क्लीयरेंस, परफॉर्मा में विधिवत प्रमाणित और प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत बायोडाटा, पिछले दस वर्षों के दौरान लगाए गए हल्के और भारी दंडों का विवरण और पिछले 05 वर्षों के सी.आर. डोजियर के साथ अग्रेषित किए जा सकते हैं।
6. आवेदक को मूल विभाग में मूल पद और 6वें और 7वें सी.पी.सी. के अनुसार केंद्र सरकार के वेतनमानों के अनुरूप उसके द्वारा धारित पद का मूल वेतन भी बताना होगा। एसीपी/एमएसीपी के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का विवरण भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए।
7. आवेदकों के कैडर पद की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का स्तर एक्स–कैडर पद के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बराबर होना चाहिए।
8. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. अधिकारियों को पूरी तरह से प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण आधार पर तैनात किया जाएगा और समावेशन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. आवेदक की पात्रता दिविप्रा में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
11. विधिवत् भरे गये आवेदन **आयुक्त (कार्मिक) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ई–1, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली–110023** में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **14.07.2025** तक या उससे पहले पहुंच जाने चाहिए। अपूर्ण/देर से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।

आयुक्त (कार्मिक)

हमें यहाँ फॉलो करें : ddaofficial official_dda official_dda_
"कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देंखे और डायल करें टोल फ्री नं.: 1800110332"